

चाईल्ड बजट वर्ष 2026-27

विभाग- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, स्वास्थ्य सेवायें

राशि हजार ₹ में

अ. बाल विशिष्ट योजना (योजनाएं जिसमें बच्चों के लिए प्रावधान 100 प्रतिशत है)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2025-26	बजट प्रावधान 2026-27	अनुमानित लाभार्थी 0 से 18 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1.	6884	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन				
	1.	शिशु स्वास्थ्य	नवजात शिशुओं में मृत्यु दर को कम करने के लिये जिलों में विभिन्न इकाईयों (एस.एन.सी.यू., एन.बी.एस.यू., एन.बी.सी.सी., एच.डी.यू., ई-टैट) में शिशु स्वास्थ्य संबंधी उपचार की सुविधायें प्रदाय की जाती है।	142581	114589	2864290
	2.	एनीमिया मुक्त भारत (AMB)	एनीमिया के रोकथाम के लिये राज्य में एनीमिया मुक्त भारत (AMB) कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 6 लाभार्थी समूहों को आयु वर्ग के अनुसार आयरन एवं फॉलिक एसिड सिरप/टेबलेट का सेवन कराया जाता है।	197416	818760	2315241
	3.	पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC)	केन्द्रों में अति गंभीर कुपोषित बच्चों का प्रबंधन किया जाता है। जहां उन्हें मानको के आधार पर आहार के साथ-साथ चिकित्सकीय उपचार भी प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही माताओं को घरेलु स्तर पर कुपोषण के प्रबंधन हेतु परामर्श भी दिया जाता है।	67418	116008	23040
	4.	राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (NDD)	राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (NDD) कार्यक्रम अंतर्गत 1 से 19 वर्ष तक के समस्त बच्चों एवं किशोर/किशोरियों को वर्ष में दो बार आंगनबाडी केन्द्रों तथा शालाओं के माध्यम से एल्बेंडाजोल की गोली का सेवन कराया जाता है।	46904	67486	10797821
	5.	माँ कार्यक्रम (Mother's Absolute Affection)	माँ कार्यक्रम (Mother Absolute Affection) के अंतर्गत जन्म के एक घंटे के अन्दर नवजात शिशु को स्तनपान कराना एवं प्रथम 0-6 माह तक केवल स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित कराना एवं छः माह के पश्चात् उपयुक्त उपरी आहार प्रारम्भ करना एवं 2 वर्ष तक स्तनपान जारी रखना एवं अस्पतालों को बेबी फ्रेन्डली बनाना है।	46568	45643	733131

चाईल्ड बजट वर्ष 2026-27

विभाग- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, स्वास्थ्य सेवायें

राशि हजार ₹ में

अ. बाल विशिष्ट योजना (योजनाएं जिसमें बच्चों के लिए प्रावधान 100 प्रतिशत है)

क्र. योजना क्रमांक	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान		अनुमानित लाभार्थी 0 से 18 वर्ष	
			2025-26	2026-27		
1	2	3	4	5	6	7
6.	शिशु संरक्षण माह (SSM)	शिशु संरक्षण माह (SSM) कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष में दो बार 9 माह से 59 माह के बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता, रतौंधी से बचाव के लिए ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के माध्यम से विटामिन "ए" की खुराक बच्चों को पिलाई जाती है एवं 6 माह से 59 माह के बच्चों मताओं को वर्ष में दो बार आयरन एवं फॉलिक एसिड सिरप बॉटल उपलब्ध कराया जाता है।	16006	20044	2596969	
7.	गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा (Intensified Diarrhea Control Fortnight)	0-5 वर्ष के बच्चों में मृत्यु का एक मुख्य कारण डायरिया भी है, जिसके भीष्ण उपचार से शिशु मृत्यु दर में कमी लायी जा सकती है, बच्चों में डायरिया से होने वाली मृत्युओं की रोकथाम के उद्दे य से गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) का आयोजन प्रति वर्ष मानसून सिजन में किया जाता है।	37521	43950	3055258	
8.	गृह आधारित नवजात देखभाल (HBNC) एवं गृह आधारित बच्चों के देखभाल (HBYC):-	<p>गृह आधारित नवजात देखभाल (HBNC) कार्यक्रम अंतर्गत मितानिन द्वारा नवजात शिशुओं के गृह भ्रमण (01, 03, 07, 14, 21, 28 एवं 42वें दिवस गृह प्रसव प्रकरण में तथा 03, 07, 14, 21, 28 एवं 42वें दिवस संस्थागत प्रसव में) कर स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में माताओं को सलाह तथा शिशुओं में खतरों के लक्षण पहचान कर उचित संदर्भन प्रदान किया जाता है।</p> <p>गृह आधारित बच्चों के देखभाल (HBYC) कार्यक्रम अंतर्गत मितानिन द्वारा 03 माह, 06 माह, 09 माह, 12 माह एवं 15 माह में बच्चों के गृह भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, बच्चों की विकास एवं वॉश संबंधी विषय पर बच्चों के माताओं को Counselling एवं Sick बच्चों को उचित संदर्भन प्रदान किया जाता है।</p>	275681	275680	666467	

चाईल्ड बजट वर्ष 2026-27

विभाग- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, स्वास्थ्य सेवायें

राशि हजार ₹ में

अ. बाल विशिष्ट योजना (योजनाएं जिसमें बच्चों के लिए प्रावधान 100 प्रतिशत है)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2025-26	बजट प्रावधान 2026-27	अनुमानित लाभार्थी 0 से 18 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
9.	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम	किशोर-किशोरियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना एवं उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सकीय एवं परामर्श सेवा प्रदान करना है।		29124	104427	2315241
10.	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत चिकित्सकीय दल (चिरायु) के द्वारा शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में जाने वाले शिशुओं की स्वास्थ्य जाँच की जाती है एवं सामान्य उपचार प्रदान किया जाता है। चिकित्सकीय दल के द्वारा छात्रों एवं शिशुओं की जाँच में गंभीर बीमारियों के लक्षण पाये जाने पर उन्हें उच्च संदर्भन केन्द्र (Higher Centre) रेफर किया जाता है।		290592	365925	6655088
11.	स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम	इस कार्यक्रम अंतर्गत किशोर-किशोरियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिये राज्य के 10 अकांक्षी जिलों के प्रत्येक शासकीय (कक्षा 06-12) शालाओं से 02 शिक्षक/शिक्षिका को स्वास्थ्य मुख्यतः किशोर-किशोरियों के स्वास्थ्य एवं वेलनेस के संबंध में स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के रूप में प्रशिक्षित किया जायेगा। ये शिक्षक/शिक्षिका प्रति सप्ताह बच्चों के साथ चर्चा कर उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे।		480	35673	2315241
12.	नियमित टीकाकरण	बच्चों को गंभीर बिमारियों से बचाव हेतु एवं बाल मृत्यु रोकने हेतु नियमित टीकाकरण कार्यक्रम अंतर्गत 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के विरुद्ध बच्चों को मुफ्त में टीकाकरण अस्पताल एवं आउट रीच सत्रों के माध्यम से दिया जाता है।		435596	528318	650240